न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 47/2013

1– श्री रघुनाथ पुत्र श्री लादू जी आयु लगभग 50 साल
2– श्री कैलाश पुत्र श्री लादू जी आयु लगभग 48 साल
3– श्री रमेश पुत्र श्री लादू जी आयु लगभग 45 साल
4– श्री सत्यनारायण पुत्र श्री लादू जी लगभग 42 साल
5– श्री जेठमल पुत्र श्री लादू जी लगभग 40 साल
6– मु0 गलकू बैवा श्री लादू जी लगभग 70 साल
7– श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बिरदा जी आयु लगभग 46 जरिये मृतक वारीसान

1. मु0 कान्ता देवी बैवा श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 45 साल जाति खटीक निवासी संजय नगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर
2. नाबालिग शिवानी पुत्री श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 13 वर्ष जाति खटीक निवासी संजयनगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर
3. नाबालिग पवन पुत्र श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 10 वर्ष जाति खटीक निवासी संजयनगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर
4. नाबालिग अन्जु पुत्री श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 08 वर्ष जाति खटीक निवासी संजयनगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर
5. नाबालिग कु0 मंसा पुत्री श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 06 वर्ष जाति खटीक निवासी संजयनगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर
6. नाबालिग कुमारी गजिया पुत्री श्री ओमप्रकाश आयु लगभग 03 वर्ष जाति खटीक निवासी संजयनगर बरल द्वितीय तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

समस्त नाबालिग जरिये माता व कुदरती वलिया मु0 कान्तादेवी।

––वादीगण

ब ना म

1– श्री छोगा पुत्र श्री बालू जाति खटीक निवासी ग्राम बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला–अजमेर मृतक जरिये वारीसान
2– श्री विनोद पुत्र श्री भैरू आयु बालिग
3– श्री सांवरलाल पुत्र श्री भैरू आयु नाबालिग
4– दशरथ पुत्र श्री भैरू आयु नाबालिग
5– आरती पुत्री श्री भैरू आयु नाबालिग
जरिये मु0 कंचन बैवा श्री भैरू माता व कुदरती वलिया समस्त जाति खटीक निवासीयान ग्राम बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला–अजमेर
6– श्रीमति रोडी पुत्री श्री छोगा पत्नि श्री शंकरलाल जाति खटीक निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर
7– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 8.11.2017

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा बरल द्वितीय पटवार हल्का बरल द्वितीयस तहसील मसूदा के खाता संख्या 112 साबिक खसरा नंबर 81 रकबा 02–16–10 जिसका नवीन खसरा नंबर 95 रकबा 02–15–00 व खसरा नंबर 136

था जो नही किया जाकर जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार श्री भैरू पुत्र भूरा के नाम अंकित कर दिया गया जिसके स्वर्गवास हो जोन के पश्चात यह भूमि उसके वारीस प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम अंकित कर दिया गया जो कि अवैधानिक एंव गैर कानूनी रूप से अंकित किया गया है। जबकि खसरा नंबर 95 की भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज स्वर्गीय भैरू का प्रत्यक्ष एंव परोक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार ना तो पूर्व में था और ना ही आराजी का इन्द्राज उसके नाम किये जाने के समय रहा। उक्त आराजी पर वादीगण का आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का किसी प्रकार से संबंध व सरोकार नही है। साबिक खसरा नंबर 81 के हाल खसरा नंबर 136 पर जो चाह कुआ का निर्माण वादीगण द्धारा ही किया गया है। और उन्ही का उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2043 से 2046 के खाता संख्या 411 के अनुसार चाह में वादीगण के नाम बहैसियत खातेदार अंकित किये गये जाने के समय से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का नाम भी सम्मिलित रूप से अंकित कर दिया गया जो भी गैर कानूनी व अवेध रूप व अवेध रूप से अंकित किया गया है। तथा जो जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज चले आ रहे है, वह गलत व गैर कानूनी व अवेध है। साबिक खसरा संख्या 81 का नवीन नम्बर 136 जो कि भू संशोधन के समय के पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों के द्वारा चाह का निर्माण अपनी स्वयं की पूंजी से करवाया था जिससे वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही सिंचाई करते आ रहे हैं जबकि इस चाह से प्रतिवादीगण की आराजी की सिंचाई कभी नहीं हुई है। प्रतिवादीगण के नाम गैर कानूनी व अवैध रूप से अंकित खसरान की भूमि एवं चाह से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिवादीगण इस आराजी एवं चाह को बेचान करने पर आमादा हो रहे हैं जिसकी जानकारी वादीगण को खेत के पडौसियों एवं ग्रामवासियों ने दिनांक 20.05.2013 को ही प्राप्त हुई है और तत्पश्चात हमारे अधिवक्ता से सलाह लेकर राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां संबंधित पटवारी हल्का एवं उप तहसील बिजयनगर से प्राप्त की जाकर बिना किसी विलम्ब के यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में अंकित अनुसार वादीगण के पूर्वजों के समय से खातेदारी में चली आ रही कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने संबंधी डिक्री भी पारित फरमाई जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा इस आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री भी सादिर फरमाई जावे िकइस आराजी में वादीगण का ही कब्जा काश्त बहैसियत मालिकाना चला आ रहा है और चाह से अपनी आराजी के पिलाई आदि भी वादीगण के द्वारा ही की जा रही है। फलस्वरूप वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि एवं चाह के उपयोग एवं उपभोग के संबंध में वे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से नहीं करे और ना ही किये जाने के कथन अपने वादपत्र में अंकित किए।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की लगातार अनुपस्थिति मे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रकरण में वादी संख्या 1 ने अपना साक्ष्य का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसमें कमोबेश उनके कथन वादपत्र अनुसार ही रहे। तथा साथ ही स्वतंत्र गवाह श्री शंकर पुत्र श्री केलाराम उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बाड़ी बिजयनगर के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जिसमें स्वतंत्र गवाह ने वादी के कथनों की पुष्टि की।

वादपत्र पर वादीगण की बहस सुनी गई। वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम बरल पटवार क्षेत्र बरल II की जमाबन्दी संवत् 2024–27 प्रस्तुत की जिसके खाता संख्या 112 में अन्य खसरान् के साथ साबिक खसरा संख्या 81 रकबा 02–16–10 किस्म चाही1 श्री जीवण

.....लगातार

वल्द गणेश कौम खटीक साकिन देह के नाम खातेदारी में इन्द्राज है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट से पूर्व जीवण वल्द गणेश साबिक खसरा नम्बर 81 में खातेदार काश्तकार रहे हैं। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 81 के नए हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 02–15–00 एवं 136 रकबा 00–01–10 बने हैं। सेटलमेंट के पश्चात् बनी वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 296 में खसरा संख्या 95 रकबा 02–15–00 भेरू वल्द भूरा कोम खटीक सा. देह के नाम अंकित होना पाया गया। जबकि उक्त सेटलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी में हुए अंकन पुनः यथावत रिपीट होने चाहिये जो सेटलमेंट विभाग की त्रुटि ज़ाहिर करता है। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 136 रकबा 00–01–00 जो साबिक खसरा संख्या 81 का ही भाग है, वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 147 में जीवण के वारिसान लादू व बरदा तथा मु. दाखू के नाम अंकित है, साथ ही छोगा वल्द बालू, भैरू वल्द भूरा कौम खटीक का नाम भी उक्त गै.मु.चाह में अंकित होना पाया गया है जो आगामी रोटेशन जमाबन्दियों में उनके वारिसान के नाम अंकित होना पाया गया।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 81 में वादीगण के पूर्वज श्री जीवण वल्द गणेश एकमात्र खातेदार रहे थे एवं उक्त खातेदार को सेटलमेंट के बाद बनी वर्किंग व रोटेशन जमाबन्दियों में यथावत अंकन किया जाना चाहिये था जबकि संहवन एवं सेटलमेंट की त्रुटि से उक्त भूमि अन्य खातेदारान के नाम अंकित हो गई जो कि लिपिकीय त्रुटि भी है। ऐसी स्थिति में वादीगण जो कि जीवण वल्द गणेश के वारिसान है, वादीगण स्वयं को उक्त भूमि हाल खसरा संख्या 95 रकबा 02–15–00 तथा हाल खसरा संख्या 136 रकबा 00–01–10 में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बरल II पटवार क्षेत्र बरल II के खसरा संख्या 95 रकबा 02–15–00 किस्म चाही.1 तथा हाल खसरा संख्या 136 रकबा 00–01–10 गै.मु.चाह में वादीगण को तनहा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त खसरान् की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:51:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: